न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री श्यामलाल पुत्र नानुराम खटीक निवासी भगवानपुरा हाल एफ 138 आर.के. कॉलोनी भीलवाडा	**बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल भीलवाडा
––अपीलार्थी	––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 7-10.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल के विरूद्ध दिनांक 09.08.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 45 एफ 910918 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.07.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.07.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09.09.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में तहसीलदार माण्डल को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को आवेदन पत्र अनुसार बिन्दुवाईज सम्पूर्ण सूचना नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे एवं भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन में नियमानुसार निश्चित समयावधि में आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जावे।

आदेश आज दिनांक 7-10 .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा